

22-5-18

39

फावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बरौद  
पर पेश, निर्णय अलग से लिखा जा कर शामिल  
पत्रावली किया गया

पत्रावली कैसला सुमार होकर

नम्बर से ~~क्या हो~~ 22/5/18

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बरडोद

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:- 34/18

1.-श्री मति उदी देवी पत्नि अमरचन्द गाडरी निवासी बरडोद

---प्रार्थीगण

बनाम

- 1:-श्री भेरूलाल पिता छोगा जाट जाति जाट निवासी बरडोद
- 2:-श्रीउदा पिता धन्ना जाट जाति जाट निवासी बरडोद
- 3:-श्री गणपत पिता नानू जाट जाति जाट निवासी बरडोद
- 4:-श्री जमना पिता भूरा जी कलाल जाति कलाल निवासी बरडोद
- 5:-श्री भंवरलाल पिता भूरा जी कलाल जाति कलाल निवासी बरडोद
- 6:-श्री हजारी पिता देवा जाट जाति जाट निवासी बरडोद
- 7:-राजस्थान राज्य जरिए तहसिलदार साहब हमीरगढ

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-22/05/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प बरडोद पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बरडोद पटवार हल्का बरडोद तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 163,166,2414 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 0 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की कमी फौरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बरडोद पटवार हल्का बरडोद तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 163,166,2414 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 0 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बरडोद को 500/-रु0 (अक्षरे- पाँच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
हमीरगढ

पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

पैठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
हमीरगढ़  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पैठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर